संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 362 / वि.स. / 2024 नवा रायपुर, दिनांक 23 / 7 / 2024

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,
   अटल नगर, नवा रायपुर,

2. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़

विषय– **विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 231 द्वारा श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य विधानसभा के संबंध में।**

कृपया विषयांतर्गत **विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 231 द्वारा श्रीमती शेषराज हरवंश,** की प्रति संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना की जानकारी यूनिकोड में सॉफ्ट कॉपी सहित जानकारी संचालनालय को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

पृ. क्रमांक 363 / वि.स. / 2024 नवा रायपुर, दिनांक 23 / 7 / 2024

प्रतिलिपिः–

समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

22/7/24 10.20 AM
विस(सभा)

(231)

सम्पूर्ण कलेक्टर

छत्तीसगढ़ विधान सभा

ध्यान आकर्षण सूचना

रायपुर, दिनांक 20/07/2024 NAN

प्रेषक :

श्री धर्मजीत सिंह ठाकुर
सदस्य, विधान सभा,

प्रेषिती :–

सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर

विषय :– नियम 138 (1) के अधीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की सूचना.

महोदय,

मैं, नियम 138 (1) के अधीन आज दिनांक 26/07/24 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने को अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे :-

रायपुर जिले के प्रभारी खाद्य नियंत्रक के पद पर पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी को मार्च 2024 में बिना सक्षम अनुमोदन लिये ट्रांसफर कर दिया गया और एक जूनियर अफसर को नियम विरूद्ध रायपुर जिले में प्रभारी खाद्य नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया। पूरे राज्य में कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन और पी.डी.एस. में करोड़ों की अवैध वसूली की जा रही है। खाद्य विभाग में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2 रिटायर सहायक खाद्य अधिकारियों के साथ मिलकर विभाग के अधिकारियों से अवैध वसूल की जा रही है। अवैध वसूली के कारण राईस मिलरों से घटिया चावल लिया जा रहा है। जिला कबीरधाम की अनेक उचित मूल्य की दूकानों मे तीन मांह तक चावल के स्थान पर कनकी का वितरण किया जाता रहा, जब उपभोक्ताओं ने कनकी लेने से इन्कार कर दिया और इसका समाचार मिडिया में आने लगा तब खाद्य विभाग ने कनकी वापस लेकर चावल की आपूर्ति करवाया। परन्तु इस मामले को भी दबा दिया गया, जांच नहीं कराई गई। नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में भंडारित 80 प्रतिशत चावल अमानक है, निष्पक्ष जांच कराई नहीं जाएगी क्योंकि नीचे से ऊपर तक इसमें संलिप्त हैं। केन्द्रीय जांच दल द्वारा प्रदेश के 13 जिलों में लिये गये 400 से अधिक सैंपल फेल हो गये है। लेकिन दोषी अधिकारियों और राईस मिलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। खाद्य विभाग मे फैले इस भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता मे रोष–आकोश व्याप्त है।

भवदीय
.........[signature]
(क्षेत्र क्रमांक ....30....)

नोट : (1) नियम 138 (2) के अनुसार जहाँ किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे वहां यह समझा जायगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता सदस्य ने सूचना दी है.

(2) अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (2) के अनुसार यह सूचना तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना आवश्यक है.

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-08-07/2022-8000.